न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

उत्तराधिकार वाद सं0–2 सन् 2022

जगपति देवी...............................................आवेदक।

बनाम

पब्लिक एट लार्ज थ्रो आउट इण्डियन टेरीटरीज वगै0................प्रतिवादीगण।

दिनांक–02.07.2024

आवेदक के वारिसान संजय कुमार की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख आवेदक वारिसान की ओर से आदेश 22 नियम 03 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 30.03.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

आवेदक के वारिसान संजय कुमार का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के आवेदक जगपति देवी जौजे–केदारनाथ शर्मा मेरी मां थी जिनकी मृत्यु दिनांक 28.01.2024 को बीमारी के वजह से हो गई है। मुकदमा हाजा से आवेदिका जगपति देवी का नाम कलमजद कर उनके वारिसान के जगह पर मेरा नाम न्यायहित में प्रतिस्थापित होना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादपत्र से आवेदिका जगपति देवी का नाम कलमजद कर उनके कानूनी वारिसान के रूप में संजय कुमार वल्द केदाननाथ शर्मा का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया हैं।

आवेदिका के वारिसान के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदिका जगपति देवी थी, जिनकी मृत्यु दिनांक 28.01.2024 को अपने कानूनी वारिसान संजय कुमार को छोड़कर हो गई है। आवेदिका के वारिसान की ओर से उक्त आवेदन समय सीमा के अंतर्गत शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अतः आवेदिका के वारिसान की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 30.03.2024 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक.......................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।